आपराधिक प्रकरण संख्या : 607 / 2022
सीआईएस संख्या : 607 / 2022
नगर निगम बनाम राहुल यादव
निर्णय दिनांक : 19.03.2026

न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–11, जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी : डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार, आर.जे.एस.

दाण्डिक परिवाद संख्या : 607 / 2022
सीआईएस संख्या : 607 / 2022

नगर निगम जयपुर।

......परिवादी

बनाम

राहुल पुत्र ग्यारसीलाल, निवासी मकान नंबर 12, लवकुश नगर प्रथम, टोंक फाटक, जयपुर।

......अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 259 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009

उपस्थिति :–
1. श्री पिंटू पारीक विद्वान पैरोकार, जयपुर नगर निगम की ओर से।
2. श्री ऋषिराज यादव विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय – दिनांक : 19.03.2026

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी उपायुक्त मालवीय नगर जोन नगर निगम, जयपुर द्वारा अभियुक्त राहुल के विरुद्ध परिवाद इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि दिनांक 08.08.2022 को अभियुक्त द्वारा मौका स्थान मकान नंबर 12, लवकुश नगर प्रथम, टोंक फाटक, जयपुर पर अपने मकान में खोल रखे टिफिन सेंटर की रसोई का सारा गंदा पानी नाले द्वारा रोड पर फैला रखा है, जो जमा हो गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के फैलने का अंदेशा है और साफ सफाई व आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है..............इत्यादि।

2. उक्त परिवाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 259 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 259 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. दौराने अन्वीक्षा परिवादी नगर निगम की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू 1 रामलाल के बयान लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निरीक्षण टिप्पणी प्रदर्श पी 1, चालान स्वीकृति प्रदर्श पी 2 व परिवाद प्रदर्श पी 3 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित

करवाया गया।

4. अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत किया गया, जिस पर अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आयी साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

5. न्यायालय के समक्ष प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या ''दिनांक 08.08.2022 को अभियुक्त द्वारा मौका स्थान मकान नंबर 12, लवकुश नगर प्रथम, टोंक फाटक, जयपुर पर अपने मकान में खोल रखे टिफिन सेंटर की रसोई का सारा गंदा पानी नाले द्वारा रोड पर फैला रखा है, जो जमा हो गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के फैलने का अंदेशा है और साफ सफाई व आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है?''

6. यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड के लिए दायित्वाधीन होगा?

7. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह की साक्ष्य से अभियोजन कहानी प्रमाणित नहीं है। उक्त कथन करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होना कथित अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. उक्त तर्कों का विद्वान पैरोकार नगर निगम ने विरोध किया तथा अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होना कथित कर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

9. बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 08.08.2022 को स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपने मकान में खोल रखे टिफिन सेंटर की रसोई का सारा गंदा पानी नाले द्वारा रोड पर फैला रखा है, जो जमा हो गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के फैलने का अंदेशा है और साफ सफाई व आवागमन में बाधा उत्पन्न होना पाये जाने पर इस तथ्य की निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 तैयार की गयी, जिसके क्रम में कार्यवाही की जाकर अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

11. उक्त प्रदर्श पी 1 निरीक्षण टिप्पणी के क्रम में परीक्षित महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू 1 सूरज कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 08.08.2022 को जयपुर नगर निगम के मालवीय नगर जोन में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। उक्त दिवस को वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी विनोद कुमार व

हुकमचंद के साथ मकान नंबर 12, लवकुश नगर प्रथम, टोंक फाटक, जयपुर के दौरे पर गया था। मौका स्थान पर अभियुक्त ने टिफिन सेंटर खोल रखा है, जिसका रसोई का सारा गंदा पानी रोड पर नाले के द्वारा छोड़ रखा है, जिससे लगभग 10 बाई 20 फीट रोड पर गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे मौसमी बीमारियां होने का खतरा है। इसके साथ ही आवागमन व साफ सफाई में बाधा उत्पन्न हो ही है। मौके पर मिले व्यक्ति ने स्वयं का नाम राहुल होना बताया था, जिसके आधार पर उसने निरीक्षण टिप्पणी प्रदर्श पी 1 जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं, तैयार की थी। तत्पश्चात चालान स्वीकृति के लिए उसने प्रदर्श पी 2 तैयार किया था। तत्पश्चात उपायुक्त द्वारा अभियोजन वास्ते परिवाद प्रदर्श पी 3 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिरह में कथन किया कि उक्त दिनांक को उसके साथ उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी मौके पर गये थे। यह कहना सही है कि जब उसने मौके का दौरा किया तो वहां टिफिन सेंटर खुला हुआ था। मौके पर मिले व्यक्ति ने स्वयं का नाम राहुल यादव होना बताया था। मौके पर जो व्यक्ति मिला वह लगभग 30 वर्ष का था। मौके पर मिले व्यक्ति ने राहुल यादव होने की तस्दीक उसने आसपास से कर ली थी। टिफिन सेंटर राहुल यादव का होने की तस्दीक नहीं की।

12. इस प्रकार उक्त गवाह ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत फर्द प्रदर्श पी 1 निरीक्षण टिप्पणी उसके द्वारा तैयार करवाया जाना तथा उस पर उसके हस्ताक्षर होना कथित कर उक्त फर्द को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने अभियोजन कहानी की सम्पुष्टि की है। गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण व जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मौके पर अभियुक्त मिला था। इस प्रकार परीक्षित गवाह की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। अतः गवाह की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

13. प्रकरण में अभियोजन पक्ष के साक्षी ने अपनी साक्ष्य से अभियोजन कहानी की सम्पुष्टि की है, जिससे साक्षी की मुख्य परीक्षा का खण्डन हो। इस प्रकार गवाह की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। अभियुक्त पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य एवं तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.08.2022 को कथित मौका स्थल पर अस्थायी अतिक्रमण कर सफाई कार्य व आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही हो। प्रकरण में अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू 1 सूरज परीक्षित हुआ है। प्रकरण में अभियुक्त पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे उक्त गवाह की अभियुक्त के साथ कोई रंजिश होने के तथ्य प्रकट होते हों। प्रकरण में

अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि मौके पर कोई टिफिन सेंटर हों, ऐसा अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर मुलजिम को बरी किया जावे, परंतु न्यायालय के विनम्र मत में यह तर्क चलने योग्य नहीं है क्योंकि परिवादी पक्ष ने यह साबित किया कि मुलजिम मौके पर मिला। मुलजिम के घर से गंदा पानी छोड़ा जा रहा था। मुलजिम की दोषसिद्धि के लिए इतना पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि टिफिन सेंटर का गंदा पानी छोड़ने पर ही दोषसिद्धि का आधार बने। किसी भी प्रकार का गंदा पानी छोड़ा जाना कार्यवाही के लिए पर्याप्त है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क भी है कि मुलजिम मकान मालिक हो, यह भी साबित नहीं है। अतः दोषमुक्त किया जावे, परंतु न्यायालय के विनम्र मत में यह तर्क चलने योग्य नहीं है क्योंकि जब निगमकर्मी मौके पर गये तो मुलजिम मौके पर था। मुलजिम ने स्वयं अपना नाम राहुल यादव बताया। गवाह पी.डब्ल्यू 1 ने जिरह में भी स्वीकार किया कि आस पास के लोगों से मुलजिम की तस्दीक कर ली थी।

14. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है कि दिनांक 08.08.2022 को अभियुक्त ने अपने मकान की रसोई का सारा गंदा पानी नाले द्वारा रोड पर फैला रखा है, जो जमा हो गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के फैलने का अंदेशा है और साफ सफाई व आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

15. अतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 259 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अभियुक्त धारा 259 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

– आदेश –

16. अतः अभियुक्त राहुल पुत्र ग्यारसीलाल, निवासी मकान नंबर 12, लवकुश नगर प्रथम, टोंक फाटक, जयपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 259 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कम–11, जयपुर महानगर प्रथम

17. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त का व्यवसायी पेशा व्यक्ति होना कथित कर अभियुक्त के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाये जाने का निवेदन किया, जिसका नगर निगम ने विरोध किया।

18. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान में अस्थायी अतिक्रमण व आवागमन में बाधा उत्पन्न करने के अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अभियुक्त को धारा 259 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत दोषसिद्ध किया गया है, अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त युवा है। परंतु मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्त को निम्नानुसार अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित है।

दण्डादेश

19. अतः अभियुक्त राहुल पुत्र ग्यारसीलाल, निवासी मकान नंबर 12, लवकुश नगर प्रथम, टोंक फाटक, जयपुर को धारा 259 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत 5,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 1 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। निर्णय की प्रतिलिपि अभियुक्त को निःशुल्क प्रदत्त की जावे। अभियुक्त द्वारा उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क्रम–11, जयपुर महानगर प्रथम

20. निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क्रम–11, जयपुर महानगर प्रथम